



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email: [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502

27 सितंबर 2021

**भारत सरकार के खज़ाना बिलों का नीलामी कैलेंडर**  
(दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)

केंद्र सरकार की नकद स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम के लिए निम्नानुसार राशियां अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:

खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (01 अक्टूबर 2021 से 30 दिसंबर 2021)					
					(₹ करोड़)
नीलामी की तारीख	निर्गम तारीख	91 दिवसीय	182 दिवसीय	364 दिवसीय	कुल
6 अक्टूबर 2021	7 अक्टूबर 2021	10,000	3,000	7,000	20,000
13 अक्टूबर 2021	14 अक्टूबर 2021	10,000	3,000	7,000	20,000
20 अक्टूबर 2021	21 अक्टूबर 2021	10,000	3,000	7,000	20,000
27 अक्टूबर 2021	28 अक्टूबर 2021	10,000	3,000	7,000	20,000
2 नवंबर 2021	3 नवंबर 2021	10,000	3,000	7,000	20,000
10 नवंबर 2021	11 नवंबर 2021	10,000	3,000	7,000	20,000
17 नवंबर 2021	18 नवंबर 2021	10,000	3,000	7,000	20,000
24 नवंबर 2021	25 नवंबर 2021	10,000	3,000	7,000	20,000
1 दिसंबर 2021	2 दिसंबर 2021	10,000	3,000	7,000	20,000
8 दिसंबर 2021	9 दिसंबर 2021	10,000	3,000	7,000	20,000
15 दिसंबर 2021	16 दिसंबर 2021	10,000	3,000	7,000	20,000
22 दिसंबर 2021	23 दिसंबर 2021	10,000	3,000	7,000	20,000
29 दिसंबर 2021	30 दिसंबर 2021	10,000	3,000	7,000	20,000
<b>कुल</b>		<b>1,30,000</b>	<b>39,000</b>	<b>91,000</b>	<b>2,60,000</b>

2. भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को उचित सूचना देने के बाद संशोधन करने का लचीलापन होगा। इस तरह, यदि बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होगा तो उसे प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज़ाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा [27 मार्च 2018 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ4\(2\)-डब्ल्यूएंडएम/2018](#) में विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/938

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक